बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0 एस0 आर0 .... पटना/दिनांक ....

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002, एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का0 आ0 संख्या– 2642(अ) दिनांक 28 सितम्बर, 2015 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियिम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा–3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के अनुज्ञापन, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते है :–

(1) बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1495 दिनांक 10.03.2010 द्वारा खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2017 तक लागू रहेगा।

परन्तु इस आदेश की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :–

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक–निर्यातक कोड धारक निर्यातकों के खाद्य तिलहनों, खाद्य तेलों के निर्यात के लिए तात्पर्यित स्टॉक को, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर,

(ख) अनुज्ञप्तिधारक खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं द्वारा खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में रखे गए आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर,

(ग) खुदरा व्यापारियों (मल्टीपल आउटलेट) और बड़े डिपार्टमेंटल खुदरा व्यापारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं पर।

(2) एतद्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

(3) यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

(प्र04/आ–01/09 (खंड–III)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भरत कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव।

C:\Users\principal secretary\Desktop\Notification 3.doc

ज्ञापांक– प्र04–आ0–01 / 2009(खण्ड– III)- 1433 दिनांक– 21-03-17

प्रतिलिपिः– ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, पटना को विषयशीर्ष के साथ अंग्रेजी अनुवाद Ms Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की 100 प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु0– सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कापी ।

17/3/17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–आ0–01 / 2009(खण्ड– III) 1433 दिनांक– 21-03-17

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / विशिष्ट पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / सभी पणन पदाधिकारी / सभी आपूर्ति निरीक्षक / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन, पटना / अध्यक्ष, बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायिक संघ, पटना / महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्य लोक, पटना / महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डीलर्स एसोसियेशन, भिखना पहाड़ी, पटना–4 / महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, गायघाट, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/3/17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–आ0–01 / 2009(खण्ड– III)- 1433 दिनांक– 21-03-17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार,पटना / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना / महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना / संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

17/3/17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र04–आ0–01 / 2009(खण्ड– III)- 1433 दिनांक– 21-03-17

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/3/17

सरकार के विशेष सचिव।

Government of Bihar
Food and Consumer Protection Department

Notification

GSR..Patna/dated..........................

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order,2011, the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order,2002, and the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order,2015 published through S.O. 2642 (E) dated 28.09.2015, all of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Government of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following order regarding licensing, stock limits and movement restriction of edible oils and edible oilseeds :-

(1) The Order made regarding edible oils and edible oilseeds by the department's notification no. 1495 dated 10.03.2010 read with the Bihar Trade Articles (Unification of Licenses) Order, 1984 shall remain in force till 30 September, 2017 from the date of issuance of this Order.

Provided that nothing contained in this item shall apply to –

(a) exporters having Import Export Code issued by the Directorate General of Foreign Trade from the purview of stock holding limits under the Essential commodities Act, 1955 with respect to edible oilseeds, edible oils for the stock meant for export;

(b) stock essential commodities meant to be used as raw materials by licensed food processed food processors for manufacture of food products, from the purview of stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955;

(c) Retailers (Multiple Outlets) and Large Departmental Retailers from stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955.

(2) Previously issued corresponding notifications/orders shall be deemed to be amended to this extent.

(3) This Order shall come into force from the date of its notification.

(Pra-04-aa-01/09-Part-iii)
By order of the Governor of Bihar

(Bharat Kumar Dubey)
Special Secretary to the Govt.

D:\M_2015\Sec_4\Notification 1.doc